

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA

Order No. 15/259-2016 HRM-II(4)

Dated, Panchkula, the 27.10.2016

4834/istcell/
3/11/16

Smt. Ravi Bala S.S. Mistress, GMS Ranwer, Karnal is hereby granted the following leave:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Instructions applicable
1.	Child care leave	04-11-2016 to 02-05-2017	C.S. Instruction No. 11/102/2009-3 FR dated 01.02.2016/05.07.2012/05.11.2012

With permission to Affix/Suffix holidays.

1. That the official would have continues to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.
4. That alternate arrangement be made before employee's going on CCL so that there would be no adverse effect on the studies of the students.

Virender Kumar Dahiya
Additional Director Admn.
O/o Director Elementary Education
Haryana, Panchkula.


Endst. No. Even:

Dated, Panchkula, the 2-11-16

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. District Elementary Education Officer, Karnal w.r.t. their Memo No.E-1-2016/1953 dated 20.09.2016.
2. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Principal/Headmaster, GMS Ranwer, Karnal.
4. Smt. Ravi Bala S.S. Mistress, GMS Ranwer, Karnal.
5. Technology Officer (I.T Cell).


Superintendent HRM-II
for Director Elementary Education
Haryana, Panchkula

4835/I T Cell
3/11/16

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA

Order No. 3/125-2016 HRM-I (4)

Dated, Panchkula, the 02.11.2016

Smt. Gayatri Devi [049063], Math Mistress, Bataur, GHS [3716]-Panchkula is hereby grant the following leave:-

Sr.No.	Name of Leave	From	Rule applicable
1	Child Care Leave	01.11.2016 to 20.02.2017	C.S. Instruction No. 11/102/2009 -3FR dated 01.02.2016/05.07.2012/05.11.2012

1. That the official would have continued to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.

VIRENDER KUMAR DAHIYA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/O DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Dated, Panchkula, the 2/11/16

Endst. No. Even:

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
2. District Elementary Education officer, Panchkula w.e.f. his Memo No. E-3/2016/CCL/12029 dated 21.10.2016
3. Principal/Headmaster, Bataur, GHS [3716]-Panchkula.
4. Smt. Gayatri Devi [049063], Math Mistress, Bataur, GHS [3716]-Panchkula.
5. Technology Officer (I.T.Cell)

Ausob Singh
SUPERINTENDENT HRM-1

FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentEDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

4836/असेल
3/11/16

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/55-2016 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 19.10.2016

- 1 श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती है या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती है।
- 3 श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती है तो उन्हें निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती है जो निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिए।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

Virendra Kumar Dahiya
(विरेंद्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
सेवा में

श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक,
रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 3-11-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
- 2 मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।
- 3 टी0ओ0/आई0टी0 सैल।

Virendra Kumar Dahiya
अधीक्षक एच0आर0एम0-II


का0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूचि विरुद्ध:- श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

श्री प्रदीप, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) ने एस0एस0 अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

यह कि आप दिनांक 18.05.2016 को बिना किसी सूचना के विद्यालय छोड़कर गये। यह कि आप दिनांक 19.05.2016 को जांचकर्ता को बताया कि मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक के अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे गाडी में लेकर चिकित्सा सहायत हेतु भिवानी गये थे। परन्तु आपके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि आपने विद्यालय बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिये तथा स्टाफ को बिना बताये स्कूल समय में समय छोड़ा जिस बारे आपने अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आप अनुपस्थित रहने के आदि है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी नियमावली-1966 के नियम-III की अवहेलना की है तथा अपने आपको अनुशासनिक कारवाही का पात्र बनाया है।


(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूचि विरुद्ध:- श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।


श्री प्रदीप, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) ने एस0एस0 अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

यह कि आप दिनांक 18.05.2016 को बिना किसी सूचना के विद्यालय छोड़कर गये।

यह कि आप दिनांक 19.05.2016 को जांचकर्ता को बताया कि मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक के अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे गाडी में लेकर चिकित्सा सहायत हेतु भिवानी गये थे। परन्तु आपके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि आपने विद्यालय बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिये तथा स्टाफ को बिना बताये स्कूल समय में समय छोड़ा जिस बारे आपने अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आप अनुपस्थित रहने के आदि हैं।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी नियमावली-1966 के नियम-III की अवहेलना की है तथा अपने आपको अनुशासनिक कारवाही का पात्र बनाया है।


(विरेन्द्र कुमार दाहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

नियम-7 की कार्यवाही विरुद्ध - श्री प्रदीप, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

रिकार्ड की सूची:-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी का पत्र क्रमांक ई-11/16/4555 दिनांक 26.05.2016.

गवाहों की सूची:-

1. ग्राम पंचायत कासनी जिला भिवानी।

W. K. D.
(विरेन्द्र कुमार दाहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

**Directorate Elementary Education****मौलिक शिक्षा निदेशालय**

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentEDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणाराजसो भा प्रयोजितिय
From Darkness lead me to Light4837/Prce
3/11/16**कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।****ज्ञापन**

आदेश क्रमांक 14/55-2016 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 19.10.2016

- 1 श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती है या नहीं। उन्होने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती है।
- 3 श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती है तो उन्हें निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री कैलाश, विज्ञान, अध्यापक ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती है जो निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

V. K. Singh
(विरेन्द्र कुमार सहिया)अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।रजिस्टर्ड
सेवा मेंश्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक
रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 3-11-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
- 2 मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।
- 3 टी0ओ0/आई0टी0 सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-II

का0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूचि विरुद्ध:- श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।


श्री कैलाश, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) ने विज्ञान अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

यह कि आप दिनांक 18.05.2016 को बिना किसी सूचना के विद्यालय छोड़कर गये।

यह कि आप दिनांक 19.05.2016 को जांचकर्ता को बताया कि मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक के अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे गाडी में लेकर चिकित्सा सहायत हेतु भिवानी गये थे। परन्तु आपके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि आपने विद्यालय बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिये तथा स्टाफ को बिना बताये स्कूल समय में समय छोड़ा जिस बारे आपने अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आप अनुपस्थित रहने के आदि है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी नियमावली-1966 के नियम-III की अवहेलना की है तथा अपने आपको अनुशासनिक कारवाही का पात्र बनाया है।



(विरेंद्र कुमार देहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूचि विरुद्ध:- श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

श्री कैलाश, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) ने विज्ञान अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

यह कि आप दिनांक 18.05.2016 को बिना किसी सूचना के विद्यालय छोड़कर गये। यह कि आप दिनांक 19.05.2016 को जांचकर्ता को बताया कि मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक के अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे गाडी में लेकर चिकित्सा सहायत हेतु भिवानी गये थे। परन्तु आपके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि आपने विद्यालय बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिये तथा स्टाफ को बिना बताये स्कूल समय में समय छोड़ा जिस बारे आपने अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आप अनुपस्थित रहने के आदि है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी नियमावली-1966 के नियम-III की अवहेलना की है तथा अपने आपको अनुशासनिक कारवाही का पात्र बनाया है।


(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


नियम-7 की कार्यवाही विरुद्ध - श्री कैलाश, विज्ञान अध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

रिकार्ड की सूची:-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी का पत्र क्रमांक ई-11/16/4555 दिनांक 26.05.2016.

गवाहों की सूची:-

1. ग्राम पंचायत कासनी जिला भिवानी।


(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

4838/2900
3/11/16

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/55-2016 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 19.10.2016

- 1 श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती है या नहीं। उन्होने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती है।
- 3 श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती है तो उन्हें निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती है जो निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

W. S. Chhajer
(विरेन्द्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
सेवा में

श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक
रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 3-11-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
- 2 मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।
- 3 टी0ओ0/आई0टी0 सैल।

W. S. Chhajer
अधीक्षक एच0आर0एम0-II

का0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूचि विरुद्ध:- श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।


श्री अक्षय कुमार, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) ने मौलिक मुख्याध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

यह कि आप दिनांक 18.05.2016 को बिना किसी सूचना के विद्यालय छोडकर गये।

यह कि आप दिनांक 19.05.2016 को जांचकर्ता को बताया कि अस्वस्थ है। परन्तु आपके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि आपने विद्यालय बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिये तथा स्टाफ को बिना बताये स्कूल समय में समय छोडा जिस बारे आपने अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आप अनुपस्थित रहने के आदि है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी नियमावली-1966 के नियम-III की अवहेलना की है तथा अपने आपको अनुशासनिक कारवाही का पात्र बनाया है।


(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

अभियोग सूचि विरुद्ध:- श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

श्री अक्षय कुमार, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी) ने मौलिक मुख्याध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

यह कि आप दिनांक 18.05.2016 को बिना किसी सूचना के विद्यालय छोडकर गये। यह कि आप दिनांक 19.05.2016 को जांचकर्ता को बताया कि अस्वस्थ है। परन्तु आपके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि आपने विद्यालय बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिये तथा स्टाफ को बिना बताये स्कूल समय मे समय छोडा जिस बारे आपने अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रतीत होता है कि आप अनुपस्थित रहने के आदि है।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी नियमावली-1966 के नियम-III की अवहेलना की है तथा अपने आपको अनुशासनिक कारवाही का पात्र बनाया है।

V. K. Singh
(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

नियम-7 की कार्यवाही विरुद्ध - श्री अक्षय कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 कासनी (भिवानी)।

रिकार्ड की सूची:-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी का पत्र क्रमांक ई-11/16/4555 दिनांक 26.05.2016.

गवाहों की सूची:-

1. ग्राम पंचायत कासनी जिला भिवानी।

Handwritten Signature
(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

4839/ITcell
3/11/16

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA

Order No. 32/196-2016 HRM-I (2)

Date, Panchkula, the 20.10.2016

Permission is hereby granted to Smt. Sushma, S.S. Mistress, GHS 4/8 Marla, (Gurgaon) to change the option for the medical reimbursement from **fix medical allowance** to **open medical allowance** facility for reimbursement of outdoor expenses of allopathic treatment of chronic disease(s) w.e.f. **02.08.2016** in terms of Haryana Government instructions issued from time to time on the following conditions:-

1. That he will not be entitled fix medical allowance w.e.f. **02.08.2016** and the fix medical allowance, if any, paid to him after the date of change of option will have to be deposited in Government Treasury.
2. That he will not be entitled fix medical allowance until he avails open medical allowance facility.
3. That the option has been changed since the **employee's daughter** is suffering from chronic disease. The certificate in this regard has been issued by **Civil Surgeon Gurgaon** vide **197 dated 02.08.2016**.
4. The Medical Certificate is to be reviewed/renewed after a period of two years or before date of its expiry whichever is earlier otherwise his/her medical option will be changed from open to fix automatically.
5. The reimbursement will be made only for chronic diseases declared by Haryana Govt. from time to time.

R.S. KHARB
Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula

Dated, Panchkula, the 02.11.2016

Endst. No. Even

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, **Gurgaon** w.r.t. his No. **A-2/Med/2016/1530 dated 07.09.2016**. It is hereby directed to get the new medical certificate prior to the expiry date of the present one and submit the case thereafter to continue the option.
2. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Headmaster, **GHS 4/8 Marla, (Gurgaon)**.
4. **Smt. Sushma, S.S. Mistress, GHS 4/8 Marla, (Gurgaon)**.
5. IT Officer (HQ).

Supriya Singh
Superintendent HRM-I
For Director Elementary Education
Haryana, Panchkula